कार्यालय वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद
जिला – गरियाबंद (छ0ग0)

7706-241350 Email dfogariaband@gmail.com 7706-241407

क्रमांक/मा.चि./भू–प्रबंध/702 गरियाबंद, दिनांक 12/05/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त रायपुर

विषय :– **Diversion of forest Land non-forest Purpose undeer Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Rehabilitation and Upgrating of Panduka, Jatmai, Ghatarani, Gaydabri, Madeli, Mudagaon Road (Two Lane Public Road) Area - 24.569 ha.**

संदर्भ :– 1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध/व.स.अ.)छत्तीसगढ़ रायपुर का पृ.क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–748/1224 रायपुर, दिनांक 11/06/2021

2. आपका पत्र क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./6201 दिनॉक 12.07.2021

—000—

विषयांकित वन संरक्षक अधिनियम–1980 के तहत गैर वानिकी कार्य पाण्डुका–जतमई–घटारानी मुढ़ागॉव 2 लेन मार्ग निर्माण रकबा–24.569 हे. वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>कमियॉं</th><th>पूर्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रकरण में प्रभावित वन भूमि रकबा 24.569 हे. के एवज में गरियाबंद परिक्षेत्र के नारंगी वन क्षेत्र बेन्दकुरा "बी" कक्ष क्रमॉक 559 रकबा 82.890 हे. में से 20.00 हे. क्षेत्र एवं कक्ष क्रमॉक 570 रकबा 55.870 हे. में से 30.503 हे. कुल 50.503 हे. क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार द्वारा कार्य आयोजना में सम्मिलित नारंगी वन क्षेत्र को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए मान्य नहीं किया जा रहा है।
अतः इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जावे कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन क्षेत्र कार्य आयोजना में सम्मिलित नहीं है न ही किसी अन्य वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है।</td><td>प्रकरण में प्रभावित वन भूमि रकबा 24.569 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु कलेक्टर जिला–गरियाबंद अपने पत्र क्र./1630/ कले./वाचक/2022, दिनॉक 29.03.2022 के द्वारा समतुल्य राजस्व भूमि निम्नानुसार ग्राम खसरा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्रं</th><th>कार्य स्थल</th><th>रकबा (हे.में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>राजस्व क्षेत्र अरण्ड (ख.नं. 260)</td><td>4.10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राजस्व क्षेत्र टेका (ख.नं. 468 एवं 694)</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राजस्व क्षेत्र पितईबंध (ख.नं. 356)</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग :–</td><td>24.60</td></tr>
</table>
उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राजस्व भूमि में किसी अन्य वानिकी कार्य हेतु प्रस्तातिव नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्न)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र 50.503 हे. का दिया गया है तथा योजना 50.00 हे. की योजना प्रस्ताव में संलग्न किया गया है– स्थिति स्पष्ट करें तथा 50.503 हे. की योजना अद्यतन दर से तैयार कर प्रेषित करें।</td><td>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य समतुल्य राजस्व भूमि रकबा 24.60 हे. का प्रस्ताव अद्यतन दर से तैयार किया गया है। (संलग्न)</td></tr>
</table>

संलग्न :– 1. प्रमाण–पत्र ।

2. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट । (04 प्रति में)

वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

E:\MACHI SECTION\VIVEK SAHU\Memo - 2022.docx

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक/मा.चि./भू–प्रबंध/.....703 **गरियाबंद, दिनांक ..12/05/2022**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध/व.स.अ.)छत्तीसगढ़ रायपुर का पृ.क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–749/1224 रायपुर, दिनांक 11/06/2021 के संदर्भ में।
2. Project Director, Chhattisgarh State Road Sector Project, PWD, Sirpur Bhawan, Raipur.

" वर्तमान में किसी भी प्रकार के वनक्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है। "

वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

Scanned with CamScanner